दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:30 जनवरी, 2024

रि.या.(सि.) 2833/2020 और सि.वि.आवे. 9857/2020,44582/2022

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी. पी. आई. ओ.)
केंद्रीय जांच ब्यूरो .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अनुपम एस. शर्मा, एस. पी. पी.-सी. बी. आई. श्री प्रकाश एरन, श्री अभिषेक बत्रा, श्री रिपू दमन शर्मा, श्री वशिष्ठ राव, श्री स्यामांतक मोदगिल और सुश्री गुरप्रीत कलसी, अधिवक्तागण के साथ

बनाम

संजीव चतुर्वेदी .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री मनोज खन्ना, सुश्री श्वेता शर्मा और श्री अभिषेक चंदेल, अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री सबरामोनियम प्रसाद

निर्णय

1. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसमें प्रत्यर्थी

द्वारा दायर अपील की अनुमति दी गई है और सी. पी. आई. ओ., केंद्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार रोधी शाखा, दिल्ली को याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई निम्नलिखित जानकारी देने का निर्देश दिया गया हैः-

"I. कृपया मुझे दिनांक 03.07.2014 को श्री नीतीश मिश्रा,पुलिस अधीक्षक जो कि उस समय संबंधित खरीद में भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारी थें को सौंपे गये भ्रष्टाचार की शिकायत पर सी. बी. आई. द्वारा की गई जांच से संबंधित सभी फाइल नोटिंग/दस्तावेज/पत्राचार की प्रमाणित प्रति प्रदान करें ।

कृपया मुझे उक्त शिकायत के अनुलग्नक-II का पता लगाने के लिए सी. बी. आई. द्वारा किए गए प्रयासों से संबंधित प्रमाणित प्रतियां और श्री टी आर महाजन, सहायक स्टोर अधिकारी से उनके बेटे और बहू के स्वामित्व वाली आपूर्तिकर्ता फर्म से संबंधित लिए गये बयान, यदि कोई हों, प्रदान करें।

II. कृपया मुझे जनवरी, 2014 में ए. सी. बी., नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत पी. ई.-डी. ए. आई.-2014-ए. 0004 में सी. बी. आई. द्वारा की गई जांच से संबंधित सभी फाइल नोटिंग/दस्तावेज/पत्राचार की प्रमाणित प्रति प्रदान करें, जिसमें श्री विनीत चौधरी और श्री बी. एस. आनंद का नाम है, जिसमें सी. बी. आई. द्वारा उनकी संपत्तियों के लेन-देन में की गई जांच से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं, जैसा कि उक्त पी. ई. में उल्लेख किया गया है।

III. कृपया मुझे एम्स, नई दिल्ली के शल्य चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार के संबंध में एम्स, नई दिल्ली के सतर्कता प्रकोष्ठ से प्राप्त

भ्रष्टाचार की शिकायत में सीबीआई द्वारा की गई जांच में सभी फाइल नोटिंग/दस्तावेज/पत्राचार की प्रमाणित प्रति प्रदान करें और जिसके बारे में सीबीआई द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 17.12.2014 पर आधी-अधूरी रिपोर्ट भेजी गई थी।

IV. कृपया मुझे श्री अनिल सिन्हा, आई. पी. एस., तत्कालीन निदेशक (सी. बी. आई.) सी. ओ.-79/2014 ए. सी. पी./डी. एल. 1/12500; सी. ओ./डी. एल. आई./ए. सी. पी./शिकायत/2014/48/16776; पी-डी. ए. आई.-2014-ए-0004, ए. सी. पी., दिल्ली में सी. बी. आई. द्वारा घटिया जाँच के खिलाफ विषय-शिकायत पर को संबोधित 22.01.2016 की शिकायत पर सभी फाइल नोटिंग/दस्तावेजों/पत्राचार की प्रमाणित प्रति प्रदान करें। ।"

2. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से संकेत मिलता है कि एम्स में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी. वी. ओ.) के रूप में प्रत्यर्थी ने मेडिकल स्टोर, जे. पी. एन. ए. ट्रॉमा सेंटर, एम्स के लिए फॉगिंग घोल और कीटाणुनाशक की खरीद में भ्रष्ट आचरण के बारे में एक रिपोर्ट भेजी थी। प्रत्यर्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी पर सी. बी. आई. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसलिए, प्रत्यर्थी ने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी , सी. बी. आई. से संपर्क किया था। उक्त जानकारी का खंडन इस आधार पर किया गया था कि सी. बी. आई. एक ऐसा संगठन है जो अधिनियम की धारा 24 के साथ पठित सूचना अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है, और इसलिए, सूचना अधिकार अधिनियम याचिकाकर्ता/संगठन पर लागू नहीं होता है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की और अपीलीय प्राधिकरण ने भी उसी आधार पर

प्रत्यर्थी की अपील को खारिज कर दिया जिसके कारण दूसरी अपील की गई। केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) के समक्ष, वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता होने के नाते प्रत्यर्थी ने कहा कि मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रत्यर्थी के साथ मामले की प्रासंगिक जानकारी साझा की।

3. याचिकाकर्ता, जो केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष प्रत्यर्थी हैं, ने याचिका दायर चूंकि सी. बी. आई. का नाम सूचना अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में है, इसलिए सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान सी. बी. आई. पर लागू नहीं होते हैं।

4. केन्द्रीय सूचना आयोग ने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी , इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाम संजीव चतुर्वेदी, **रि.या.(सि.)5521/2016** मामले में इस अदालत द्वारा दिनांक 23.08.2017 को जारी फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें इस अदालत की एक समन्वय पीठ ने कहा था कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 का प्रावधान भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को इन आधारों पर प्रदान करने की अनुमति देता है और ऐसी जानकारी का खुलासा करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

5. याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम की खंड 24 एक पूर्ण प्रतिबंध के रूप में कार्य करती है और सी. बी. आई. को सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। यह भी कहा गया है कि जहां तक सी. बी. आई. का संबंध है, यह प्रावधान लागू नहीं होता है, क्योंकि सी. बी. आई. दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 के तहत कार्य करती है और सी. बी. आई. सूचना अधिकार अधिनियम

के तहत उसके द्वारा की गई जांच का खुलासा नहीं कर सकती है। यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार के अपराधों से संबंधित मामलों में सी. बी. आई. द्वारा की गई जांच में खुफिया जानकारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले खुफिया जानकारी के आधार पर दर्ज किए जाते हैं, और इसलिए, सी. बी. आई. द्वारा की गई जांच का खुलासा प्रत्यर्थी को नहीं किया जा सकता है।

6. दिनांक 29.07.2022 को नोटिस जारी किया गया था और इस पर अदालत द्वारा रोक लगा दी गई थी।

7. याचिकाकर्ता/सी. बी. आई. के विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अनुपम एस. शर्मा ने रिट याचिका में उठाए गए तर्कों को दोहराया।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील सी. पी. आई. ओ., इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाम संजीव चतुर्वेदी में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, **2017 एससीसी ऑनलाइन दि. 10084**

9. पार्टियों के वकील को सुना और रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन किया।

10. सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 इस प्रकार हैः-

> *"**24.** अधिनियम कतिपय संगठनों पर लागू नहीं होता है।–*
> *(1) इस अधिनियम में निहित कोई भी बात दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई कोई जानकारीःबशर्ते कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को इस उप-धारा के तहत बाहर नहीं किया जाएगाःबशर्ते कि मांगी गई जानकारी के मामले में*

मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में, जानकारी केवल केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद प्रदान की जाएगी, और धारा 7 में किसी भी बात के होते हुए, ऐसी सूचना अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

(2) केंद्र सरकार,अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य खुफिया या सुरक्षा संगठन को उसमें शामिल करके या उसमें पहले से निर्दिष्ट किसी संगठन को हटा कर अनुसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, ऐसे संगठन को अनुसूची में शामिल माना जाएगा या, जैसा भी मामला हो, अनुसूची से हटा दिया जाएगा।

(3) उप-धारा (2) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम में निहित कुछ भी ऐसे खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं, जैसा कि सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती हैः बशर्ते कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को इस उप-धारा के तहत बाहर नहीं किया जाएगाः बशर्ते कि मांगी गई जानकारी के मामले में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के संबंध में, जानकारी केवल राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद प्रदान की जाएगी और धारा 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसी सूचना अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

(5) उप-धारा (4) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।"

11. सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 के अवलोकन से पता चलता है कि भले ही संगठन का नाम सूचना अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा अधिनियम ऐसे संगठनों पर लागू नहीं होता है। खंड 24 का प्रावधान आवेदक को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की अनुमति देता है और इसे सूचना अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित संगठनों को प्रदान किए गए अपवाद में शामिल नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सी. आई. सी. द्वारा सही बताया गया है, इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी , इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाम संजीव चतुर्वेदी, **2017** में दिनांकित 23.08.2017 के फैसले के माध्यम से बताया। **एस. सी. सी. ऑनलाइन दि. 10084** ने निम्नलिखित रूप में देखा हैः-

> *"27. धारा 24 (1) अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम को दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं किया जा सकता और ऐसी कोई भी संगठन केंद्र सरकार को दी गई किसी भी सूचना को बाहर नहीं कर सकतीं है। हालाँकि, परंतुक द्वारा कवर की गई जानकारी के संबंध में अपवर्जन खंड में एक अपवाद बनाया गया है। परंतुक में कहा गया है कि यदि जानकारी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है, तो इसे इस उप-धारा के तहत बाहर नहीं किया जाएगा।*
>
> *28. खुफिया और सुरक्षा संगठनों के बीच के प्रावधान और ऐसे संगठन द्वारा केंद्र सरकार को दी गई जानकारी से एक अंतर देखा जाता है अपवर्जन खंड के प्रावधान द्वारा बनाया गया अपवाद केवल*

जानकारी के संबंध में है न कि खुफिया और सुरक्षा संगठनों के संबंध में।

29. *परंतुक को सीधे सीधे पढ़ने से पता चलता है कि बहिष्करण किसी भी जानकारी के संबंध में लागू होता है। "कोई भी जानकारी" शब्द के दायरे में सभी प्रकार की जानकारी शामिल होगी।यह प्रावधान तब लागू होता है जब जानकारी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित होती है। छूट प्राप्त खुफिया और सुरक्षा संगठनों से संबंधित जानकारी पर परंतुक योग्य और सशर्त नहीं है। यदि छूट प्राप्त खुफिया और सुरक्षा संगठनों द्वारा मांगी गई जानकारी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है, तो इसे अपवर्जन खंड से छूट दी जाएगी।*

30. *परंतुक "बशर्ते कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को इस उप-धारा के तहत बाहर नहीं रखा जाएगा" को पूर्ववर्ती वाक्यांश या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी भी जानकारी के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।*

31. *अगर इसे एक साथ पढ़ा जाए तो केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि मांगी गई जानकारी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप से संबंधित है, तो इसे बहिष्करण खंड से छूट दी जाएगी, भले ही जानकारी छूट प्राप्त खुफिया और सुरक्षा संगठनों से संबंधित हो या खुफिया ब्यूरो के किसी अधिकारी से संबंधित हो या न हो।"*

(जोर दिया गया)

12. एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी बनाम केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खुफिया विभाग , **2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन दि 6524** मामले में न्यायालय की एक अन्य समन्वित पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

> *"**22.** उपरोक्त के अलावा, यह भी देखना आवश्यक है कि केवल इसलिए कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के बारे में ऐसी जानकारी अधिनियम की धारा 24 (1) के दायरे से बाहर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है। धारा 24 (1) के दूसरे प्रावधान का एकमात्र तात्पर्य यह है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में आएगी। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण से कुछ छूट प्रदान करती है और उक्त प्रावधान भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी पर समान रूप से लागू होंगे। इस प्रकार, संबंधित अधिकारियों को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी अन्यथा सूचना अधिकार अधिनियम की खंड 8 के आधार पर इस तरह के प्रकटीकरण से मुक्त है।*

13. ई. एस. ए. बी. लिमिटेड बनाम विशेष निदेशक पर भरोसा करते हुए भारत संघ बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य **एल. पी. ए. सं. 734/2018** में यह न्यायालय प्रवर्तन विभाग, **2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन दि 1212** ने भी चर्चा की है कि क्या सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 को देखते हुए मांगी गई जानकारी को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। खण्ड पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत

उल्लिखित संगठनों द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी के प्रकटीकरण पर एक पूर्ण प्रतिबंध है और कहा कि यदि मांगी गई जानकारी भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप से संबंधित है तो ऐसे संगठनों द्वारा कोई भी जानकारी दी जा सकती है।

14. यह बताने के अलावा रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि जांच, एक संवेदनशील प्रक्रिया द्वारा की जाती है और पूछताछ/जांच के बारे में जानकारी प्रदान करने से सार्वजनिक व्यक्ति उन मामलों में हस्तक्षेप करेंगे जो सी. बी. आई. के अधिकार सीमा के भीतर है। कानून याचिकाकर्ता पर यह जांच करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है कि इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति यदि बड़े पैमाने पर जनता को दी जाती है, तो क्या इसके फलस्वरूप आम जनता को ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो न्यायपालिका के पास भी नहीं हैं।

15. इस मामले में, याचिकाकर्ता ने एम्स में जेपीएनए ट्रॉमा सेंटर के स्टोर में फॉगिंग सॉल्यूशन और कीटाणुनाशक की खरीद में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत के बारे में जानकारी मांगी है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें सी. बी. आई. द्वारा संवेदनशील जानकारी एकत्र की गई हो और इसका खुलासा शामिल अधिकारियों के लिए प्रतिकूल होगा । यह भी ऐसा मामला नहीं है जहां जानकारी इतनी संवेदनशील हो कि इसे बड़े पैमाने पर जनता के साथ साझा नहीं किया जा सके। परंतुक का उद्देश्य आवेदक को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी प्रदान करने की अनुमति देना है । याचिकाकर्ता ने जेपीएनए ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली में स्वच्छ कीटाणुनाशक और फॉगिंग समाधान की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और इसलिए यह मामला किसी भी प्रकार की संवेदनशील जांच से संबंधित नहीं है।

16. जे. पी. एन. ए. ट्रॉमा सेंटर , एम्स, नई दिल्ली में स्वच्छ कीटाणुनाशकों और फॉगिंग समाधान की खरीद में कदाचार के संबंध में जाँच प्रकिया के प्रकटीकरण द्वारा जाँच में शामिल

अधिकारीयों और अन्य व्यक्तियों की पहचान भी बाहर आ जाएगी, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ सकता या अन्य जांच पर भी संकट आ सकता है ।अदालत इस मामले से संबंधित तथ्यों में सी. बी. आई. के तर्क को प्रतिग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि, उपयुक्त मामलों में, सी. बी. आई. के लिए यह स्थापित करने का विकल्प खुला रहता है कि किसी विशेष जांच के संबंध में मांगी गई जानकारी संवेदनशील प्रकृति की है और इसमें शामिल संवेदनशीलता की प्रकृति पर विचार करने और सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 को और इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए धारा 24 को अधिनियम कानून की किताब में लाया गया था, केंदीय लोक सूचना अधिकारी के लिए ऐसी सूचना देने से इनकार का विकल्प हमेशा बना रहता है।

17. रिट याचिका का निपटारा लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ किया जाता है।

सुब्रामोनियम प्रसाद, न्या.

30 जनवरी, 2024

एचएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*